**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 01-11-2022**

आज दिनांक 01.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

## बखिरा पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 327 / 2022 धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता अरुण कुमार पुत्र विश्वम्भरनाथ निवासी खुखुन्दा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

दिनांक 18.10.2022 को वादी अंगद प्रसाद चौधरी पुत्र रामकरन चौधरी द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उसकी पुत्री शालिनी चौधरी को उसके पति अरुन, ससुर विश्वम्भर, सास, व जेठानी निवासीगण खुखुन्दा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दहेज की मांग को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज न देने पर वादिनी की पुत्री की हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध मे थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 327 /2022 धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-**

प्रभारी चौकी बखिरा उ0नि0 कल्पनाथ सिंह, का0 मंजीत कुमार।

## चोरी के 01 चेन पीली धातु के साथ 03 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

वादिनी फरहीन खान पुत्री जावेद अहमद निवासिनी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद ई-रिक्शा से गोला बाजार से अपने घर की ओर जा रही थी कि टीवीएस एजेन्सी के पास तीन महिलाओं द्वारा प्रार्थिनी के गले से सोने का चेन चुरा लिया गया। प्रार्थिनी द्वारा शक होने पर शोर बचाने पर उक्त महिलाएं भागने लगी जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने के पश्चात वादिनी द्वारा महिलाओं की तलाशी के दौरान सोने की चेन प्राप्त होने पर वादिनी को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारपीट की गयी जिससे वादिनी के दाहिने हाथ में चोट लग गयी। वादिनी द्वारा अपने भाई व बहन के सहयोग से उक्त तीनों महिलाओं क्रमशः 1 – मीना पत्नी भुल्लर 2 – संध्या पत्नी राघव, 3 – संजना पुत्री भुल्लर निवासीगण एकला खास थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर को थाना कोतवाली खलीलाबाद लाया गया जहां पर उक्त घटना के क्रम में मु0अ0सं0 694 / 2022 धारा 379 / 411 / 323 / 504 / 506 भादवि पंजीकृत कर उक्त अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–**

1 – मीना पत्नी भुल्लर निवासी एकला खास थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर

2 – संध्या पत्नी राघव निवासी एकला खास थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर

3 – संजना पुत्री भुल्लर निवासी एकला खास थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 694 / 2022 धारा धारा 379 / 411 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

## एक अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .12 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना मेहदावल** पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दिनाकं 31.10.2022 को अभियुक नाम पता मुकेशराम पुत्र लौटू राम निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहदावल पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

मुकेशराम पुत्र लौटू राम निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0- 402 / 2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

**बरामदगी**

01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .12 बोर।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री लालजी यादव, हे0का0 जयचन्द्र कनौजिया, का0 बृजेश सिहं, का0 शत्रुधन सिहं।

## अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 13 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के आदेश के क्रम **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा अभियान के दौरान** अवैध कच्ची शराब के साथ 13 अभियुक्त नाम पता 1 – जलंधर पुत्र श्रवण कुमार निवासी सरहरी, थाना मेहदावल, 2 – लाल साहब उर्फ अशोक कुमार पुत्र नन्दलाल बारी निवासी नायलटोला कस्बा मेहदावल, 3 – हरिकेश पुत्र रामनयन निवासी गगनईराव थाना मेहदावल, 4- राजकुमार साहनी पुत्र जगन्नाथ साहनी निवासी साहनी केवटलिया थाना मेहदावल, 5 – अजय पुत्र महंथ निवासी साहनी केवटलिया थाना मेहदावल, 6 – विजय निषाद पुत्र सूर्यभान निषाद निवासी कौवाठोर थाना मेहदावल, 7 – धर्मेन्द्र पुत्र रामकरन निवासी पी0पी0गंज, 8 – उपेन्द्र पुत्र फेकू निवासी बेलवनवा थाना मेहदावल, 9 – राहुल गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवसी कौवाठोर, 10 – नागेन्द्र पुत्र इन्द्रजीत निषाद निवासी विशुनपुरा कैम्पियरगंज, 11 – सूरज पुत्र श्रीराम निवासी नौगो थाना मेहदावल 12 – झिन्कू साहनी पुत्र कल्पनाथ निवासी जलारे, थाना कैम्पियरगंज, 13 – सुभाष मौर्य पुत्र पल्लर मौर्या निवासी नहुनीठोड़ थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 389/ 2022, 390 / 2022, 391 / 2022, 392 /2022, 393 / 2022, 394 / 2022, 395 / 2022, 396 /

2022, 397 / 2022, 398 / 2022, 399 / 2022, 400 / 2022 व 401 / 2022, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री लालजी यादव, उ0नि प्रवीण कुमार, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव, का0 अखिलेश पाण्डेय, का0 रत्नेश सिंह, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 बब्लू कुमार।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3304 द्वारा घर से नाराज होकर निकली लड़की को खोज कर परिजनों को किया गया सुपुर्द -**

पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत से इवेन्ट संख्या 14879 से एक लड़की द्वारा घर से झगड़ा करके नाराज होकर कही चले जाने के संबन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर उसके परिजनों के सहयोग से लड़की को काफी तलाश करन के बाद लड़की को खोज कर उसके भाई को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंय कर लड़की को तलाश कर उसके भाई को सुपुर्द किया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहनी की गयी।

**पीआरवी स्टाफ** – आरक्षी शिवशंकर चौबे, हो0चा0 मनीष पाण्डेय।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 192 वाहनो से 1,82,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 01.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 192 वाहनों से 1,82,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।